



उत्तराखण्ड
- 3 JAN 2011
12:17 PM
11.01.2011

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1981

11AA 344755

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

शिमला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं श्री श्रीहरिवर सक्लार पुत्र श्रीहरिवर सक्लार आयु ५२ वर्ष
जो 78, नौला पानी रोड (पिता- देवराज
उत्तराखण्ड) का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी
हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ:-



1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय
किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम
अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए

(यदि अभिसाधी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हूँ तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी)

(Handwritten signature)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ..... ३५५५
- (ii) पुलिस थाना (थाने)..... ३५-५..... जिला या जिले..... ३५-५..... राज्य..... ३५-५
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... ३५-५
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विवरणक की गई..... ३५-५
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे..... ३५-५
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी रक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सेकी गई है/हैं..... ३५-५

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धकोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा): - लागू नहीं

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ..... ३५-५
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है..... ३५-५
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... ३५-५..... जिला (जिले)..... ३५-५..... राज्य..... ३५-५
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कमी आरोपित किया गया है..... ३५-५



H.S.

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे.....

.....शुद्ध.....

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया

है/रोके गए हैं.....शुद्ध.....

स्थान: देहरादून
तारीख: 10/01/2012

M.S.
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग भ्रम्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 10/01/2012 को सत्यापित किया।

M.S.
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Sr. No (57)

Identified by
O.P. Verma
Adv

This affidavit sworn before me by
Shri. Mohammad Salim
who is identified by Shri. O.P. Verma Advocate
at Dehradun on 10/01/12

ARVIND KUMAR
Advocate & NOTARY, Dehradun